



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273950
CG-DL-E-30062026-273950

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3373]
No. 3373]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2026/ आषाढ 9, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 29 जून, 2026

का.आ. 3508(अ.).— विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को तारीख 20 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई;

और तारीख 11 मई, 2026 की अधिसूचना द्वारा 01 जुलाई, 2026 की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 3 यह आदेश देती है कि राज्य सरकारें उक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु उसके प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर एक स्कीम अधिसूचित करेंगीं;

और उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि धारा 10 में यथा उपबंधित के सिवाय केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत ऐसी तारीख को और ऐसी तारीख से (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियत तारीख कहा गया है), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, उसके अधीन बनाए गए सभी नियमों, अधिसूचनाओं, स्कीमों, आदेशों और दिशा-निर्देशों के साथ निरसित हो जाएगा, और नियत तारीख को तारीख 11 मई, 2026 की अधिसूचना द्वारा 01 जुलाई, 2026 के रूप में अधिसूचित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) यह और उपबंध करती है कि ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, जिसमें जारी की गई कोई अधिसूचना, स्वीकृत कोई स्कीम, सृजित रोजगार, तैयार किए गए मस्टर रोल, प्रोद्भूत मजदूरी दायित्व या प्रारंभ की गई कोई कार्यवाही सम्मिलित है, जहां तक वह उक्त अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं होता है, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया, की गई, जारी किया गया, स्वीकृत किया गया, प्रोद्भूत या उपगत माना जाएगा, जैसे कि उक्त अधिनियम सभी सुसंगत कालखंडों पर प्रवृत्त रहा हो;

और उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा स्कीमों की अधिसूचना के बीच मध्यवर्ती अवधि उद्भव हो सकती है और ऐसी अवधि के दौरान ऐसी स्कीमों के परिणामतः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों को उसी रीति में जो उसके साथ संगत हो, प्रभावी करने के लिए समुचित उपबंध किए जाने की अपेक्षा होती है, ताकि कर्मकारों को निर्बाध रूप से रोजगार प्रदान किया जा सके;

और उक्त अधिनियम की धारा 36, केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करती है;

अब, अतः, विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और अवधि— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम के प्रवर्तन हेतु अंतरिम व्यवस्था आदेश, 2026” है।

(2) यह आदेश उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से प्रवृत्त होगा।

(3) यह आदेश राज्यवार आधार पर लागू होगा और प्रत्येक राज्य में उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख और उसकी धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्कीम की अधिसूचना किए जाने की तारीख के मध्यवर्ती अवधि के दौरान प्रवृत्त रहेगा तथा उस राज्य में निम्नलिखित तारीख से प्रभावहीन हो जाएगा:—

(क) वह तारीख जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस राज्य के संबंध में स्कीम अधिसूचित की जाती है; या

(ख) उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान पर;

जो भी पूर्वतर हो।

2. अंतरिम व्यवस्था— (1) उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख तथा धारा 3 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा जारी स्कीमों की अधिसूचना की तारीख के बीच की अवधि के दौरान में उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों से, उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने से तुरंत पूर्व प्रचालन में रही स्कीम को राज्य सरकार द्वारा, ऐसे उपांतरणों सहित, जारी रखा जा सकेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है कि स्कीम के उपबंध उक्त अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन की गई सभी कार्रवाईयाँ, जहां तक वे उक्त अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत नहीं हैं—तो उन्हें उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई मानी जाएगी।

(3) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त स्कीम के प्रचालन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांत लागू होंगे:—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन गारन्टीकृत मजदूरी रोजगार से संबंधित उपबंधों का प्रवर्तन किया जाएगा, ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ पच्चीस दिन से अन्यून का गारन्टीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध हो;

(ख) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि सहभाजन उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा शासित होगा;

(ग) सभी कार्य, जिनमें उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को प्रगति पर रहे कार्य तथा मध्यवर्ती अवधि के दौरान आरंभ किए गए कार्य भी सम्मिलित हैं, उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुरूप होंगे तथा उसके उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

[फा. सं. जे-11015/2/2025-यूएस-आरई-V]

रोहिणी रा. भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

ORDER

New Delhi, the 29th June, 2026

S.O. 3508(E).— Whereas, the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत—जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025) (hereinafter referred to as the said Act) received the assent of the President on the 20th December, 2025;

And whereas, vide notification dated 11th May, 2026, 1st day of July, 2026 has been appointed as the date on which the said Act shall come into force.

And whereas, section 3 of the said Act mandates that the State Governments shall notify a Scheme for implementation of the provisions of the said Act within a period of six months from the date of its commencement;

And whereas, sub-section (1) of section 37 of the said Act provides that, save as provided in section 10, on and from such date as the Central Government may, by notification, appoint in this behalf (hereinafter referred to as the appointed date), the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, together with all rules, notifications, schemes, orders and guidelines made thereunder, shall stand repealed, and the appointed date has been notified as the 1st day of July, 2026 vide notification dated 11th May, 2026;

And whereas, sub-section (2) of section 37 of the said Act further provides that, notwithstanding such repeal, anything duly done or any action taken under the repealed Act, including any notification issued, scheme sanctioned, employment generated, muster roll prepared, wage liability accrued, or proceedings initiated, shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of the said Act, be deemed to have been done, taken, issued, sanctioned, accrued or incurred under the corresponding provisions of the said Act, as if the said Act had been in force at all material times;

And whereas, there may arise an intervening period between the date of commencement of the said Act and notification of the Schemes by State Governments under section 3 of the said Act and the absence of such Schemes during such period may result in a situation that requires appropriate provisions to be made for giving effect to the provisions of the said Act in a manner consistent therewith, to ensure seamless provision of employment to the workers;

And whereas, section 36 of the said Act empowers the Central Government to make provisions, by order, for the removal of difficulties in giving effect to the provisions of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title, commencement and duration. (1) This Order may be called the “Interim Arrangement for operationalisation of Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, Order, 2026.”

(2) It shall come into force from the date of commencement of the said Act.

(3) This Order shall apply on a State-wise basis, and shall remain in force in each State during the intervening period between the date of commencement of said Act and notification of the Scheme by the State Government under section 3 thereof, and shall cease to have effect in that State—

(a) on the date on which the Scheme is notified under section 3 of the said Act in respect of that State; or

(b) on the expiry of a period of six months from the date of commencement of the said Act, whichever is earlier.

2. Interim Arrangement- (1) For the purposes of giving effect to the provisions of the said Act, during the period between the date of commencement of the said Act and the notification of the Schemes issued by the State Governments under section 3, the Scheme in operation immediately before the commencement of the said Act, may be continued by the State Government, with such modifications, as may be required to ensure that the provisions of the Scheme are not inconsistent with the provisions of the said Act.

(2) All actions taken under the scheme referred to in sub-section (1) shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of the said Act, be deemed to have been taken under the corresponding provisions of the said Act.

(3) Without prejudice to the generality of the foregoing, the following principles shall apply during the operation of the said scheme, namely: —

(a) the provisions relating to guaranteed wage employment under section 5 of the said Act shall be enforced, such that every rural household shall have a guaranteed wage employment of not less than one hundred and twenty-five days in a financial year;

(b) the fund sharing between the Central Government and the State Governments shall be governed by section 22 of the said Act;

(c) all works, including those ongoing as on the date of commencement of the said Act and those undertaken during the intervening period, shall be in accordance with the Schedule I to the said Act and shall not be inconsistent with the provisions thereof.

[F. No. J-11015/2/2025-US- RE-V]

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.